नई दिल्ली | एजेंसी

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारियों को सुदृढ़ कर ढांचे की रीढ़ करार दिया है। राष्ट्रपति ने गुरुवार को कहा कि आईआरएस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईमानदार करदाताओं को कोई असुविधा न हो।

कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने आए आईआरएस के 68वें बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को

नई दिल्ली में गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम के दौरान आईआरएस अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। • प्रेट्र

संबोधित करते हुए कहा कि कर चिरकाल से ही शासन की आधारशिला रहे हैं। प्राचीन काल में शासकों एवं साम्राज्यों का मूल्यांकन इस आधार पर ही किया जाता था कि उनकी कर प्रणाली किस प्रकार की है। राष्ट्रपति ने

कुशल, शुचिता पर आधारित और सम्यक होनी चाहिए।

कोविंद ने इन अधिकारियों से कहा कि वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन इस प्रकार से करें कि ईमानदार करदाता कम से कम असुविधा के साथ कर संबंधी कानूनों का पालन कर सकें। उन्होंने जीएसटी के सफलतापूर्वक लागू किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इससे एक प्रगतिशील कर प्रणाली का आरंभ हुआ है, जो अर्थव्यवस्था एवं ईमानदार करदाताओं के लिए लाभप्रद होगी।

es Limited

ng and Finance Limited")
Website: www.apollopipes.com
clave, VikasMarg, New Delhi-110092
mail ID: compliance@apollopipes.com

ENERAL MEETING, REMOTE
BOOK CLOSURE

) of the Members of the Company will be held
0 A.M. IST at the J.P. Hotel & Resorts, Near
Hospital, Delhi – 110092 to transact the
e Meeting dated August 08, 2018.

and Annual Report for financial year 2017-18
e emailIDs registered with the Registrar
Participa. These documents are also
at www.apollopipes.com. The Notice of AGM
/-18 have been sent to all other Members at
mode. The dispatch of Notice of AGM has

form and dematerialised form, as on the cut-
eir vote electronically on the business as set
tronic voting system of Central Depository
other than venue of the AGM ("remote e-

ce of AGM may be transacted through voting

on September 19, 2018 (09:00 A.M. IST);
tember 21, 2018 (05:00 P.M. IST);
ligibility to vote by electronic means or at the

not be allowed beyond 05:00 P.M. IST on

he Company and becomes a member of the
he AGM and holding shares as on the cut-off
tain the login ID and password be sending a
ndia.com. However, if a person is already
en existing user ID and password can be

mote e-voting module shall be disabled by
eptember 21, 2018 and once the vote on a
member shall not be allowed to change it
oting the ballot paper shall be made
The members who have cast their vote by
ay also attend the AGM but shall not be
) Only persons whose names is recorded in
egister of Beneficial Owners maintained by
e shall be entitled to avail facility of remote
ballot paper;

Company's website www.apollopipes.com
votingindia.com.

any queries or issues regarding remote
ly Asked Questions ("FAQs") and e-voting
a.com, under help section or write an email
The contact details of official responsible to
remote e-voting are Shri Rakesh Dalvi,
Services (India) Limited, Marathon Futurex,
Lower Parel, Mumbai 400013; Phone No.
desk.evoting@cdslindia.com.

Act, 2013 read with rules thereunder and
ligations and Disclosure Requirements)
bers and Share Transfer Books of the
17th day of September, 2018 to 22nd day of

For Apollo Pipes Limited
Sd/-
Anand Kumar Pandey
Company Secretary

MUNJAL SHOWA

मुंजाल शोवा लिमिटेड

सीआईएन: L34101HR1985PLC020934
पंजीकृत कार्यालय एवं वर्क्स: 9–11, मारूति इंडस्ट्रियल एरिया, गुरूग्राम–122015 (हरियाणा)
फोन: +91-124-4783000; फैक्स: +91-124-2341359
ई-मेल: cs@munjalshowa.net; वेबसाईट: http://www.munjalshowa.net

33वीं वार्षिक साधारण सभा एवं रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि **मुंजाल शोवा लिमिटेड** ('कम्पनी') की **33वीं वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम') बुधवार, 26 सितम्बर 2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न** कम्पनी के **9-11, मारूति इंडस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर-18, गुरूग्राम - 122015** स्थित पंजीकृत कार्यालय में एजीएम की सूचना दिनांकित 30 मई 2018 में निहित व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें आम बैठक आयोजित करने हेतु सूचना सम्मिलित है, सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत माध्यम से प्रेषित कर दी गई है, तथा जिन सदस्यों ने डिपोजिटरी भागीदारों के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत किया है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तौर पर भेज दी गई है।

कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **www.munjalshowa.net** पर भी उपलब्ध है तथा बैठक की तिथि तक व्यावसायिक कार्य–काल के दौरान सभी कार्य दिवसों पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में तथा अन्य प्रावधानों, यदि हो, के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं संचालन) नियम, 2014 के नियम 20 जैसा कि कम्पनी (प्रबन्धन एवं संचालन) संशोधन नियम, 2015 द्वारा संशोधित है एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 के अनुपालन में कम्पनी सहर्ष कट-ऑफ तिथि (19 सितम्बर 2018) को अपने सदस्यों को कथित एजीएम की सूचना में निहित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ लिमिटेड (सीडीएसएल) के रिमोट ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म के माध्यम से, प्रदान कर रही है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

(i) एजीएम सूचना में निहित व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान भी किया जा सकता है।

(ii) रिमोट ई-वोटिंग **रविवार, 23 सितम्बर 2018 को पूर्वाह्न 9:00 बजे** आरम्भ होगी और **मंगलवार, 25 सितम्बर 2018 को संध्या 5:00 बजे** समाप्त होगी।

(iii) इलेक्ट्रानिक माध्यम तथा एजीएम में वोट करने हेतु पात्रता निर्धारित करने के लिए **कट–ऑफ की तिथि बुधवार 19 सितम्बर 2018** है

(iv) वे सदस्य जिन्होंने शेयरों का अधिग्रहण बैठक की सूचना के प्रेषण के पश्चात् तथा/अथवा कट-ऑफ तिथि अर्थात् **19 सितम्बर 2018** के पूर्व किया है, **cs@munjalshowa.net** पर एक अनुरोध भेजकर यूजर आईडी एव पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

(v) कृपया ध्यान दें कि: (क) रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति **मंगलवार, 25 सितम्बर 2018 को संध्या 5:00 बजे** के पश्चात् नहीं होगी। प्रस्ताघ पर एक वार वोट करने के पश्चात् सदस्यों को उन्हें बदलने की अनुमति नहीं होगी। (ख) मतपत्र द्वारा भी मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी, एवं एजीएम में उपस्थित वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान न किया हो वे एजीएम में अपने अधिकार का उपयोग कर मतदान कर सकते हैं। (ग) वे सदस्य जिन्होंने अपना मतदान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से कर लिया हो वे एजीएम में उपस्थित रह सकते है परन्तु उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। (घ) मात्र वे सदस्य जिनका नाम रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा अनुरंक्षित सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि अर्थात् **19 सितम्बर 2018** को दर्शित हो, रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम में बैलट/वोटिंग पेपर के माध्यम से वोट करने की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

vi) एजीएम की सूचना कम्पनी के वेबसाईट: **www.munjalshowa.net** तथा सीडीएसएल की वेबसाईट: **https://www.cdslindia.com** पर प्रदर्शित है।

ई-वोटिंग संबंधित किसी भी प्रश्न हेतु कृपया **18002005533** पर फोन करें अथवा **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ईमेल करें अथवा श्री राकेश दलवी, उप-प्रबन्धक, सेन्ट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई), मुंबई – 400013 को लिखें।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं लागू होने योग्य अन्य नियमों के अनुपालन में, एतद् द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी के 33 वीं एजीएम तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लाभांश हेतु सदस्यों की योग्यता के निर्धारण के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर पुस्तकें **शनिवार, 15 सितंबर 2018 से बुधवार, 26 सितंबर 2018 (दोनों दिन शामिल)** तक बंद रहेंगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
हस्ता./–
(सौरभ अग्रवाल)
कम्पनी सचिव
एसीएस 36163

स्थान : गुरूग्राम
तिथि : 30 अगस्त 2018